"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2017—माघ 28, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शकुन्तला भोजवानी पति स्व. माधवराव उम्र 58 वर्ष, निवासी-हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, एम. आई. जी. 06, कमला कालेज रोड राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि शादी के पहले मेरा नाम कुमारी शकुन्तला भोजवानी आ. श्री मोटूमल भोजवानी था. मेरा विवाह श्री माधवराव मन्नेवार के साथ होने के पश्चात् मैंने अपना नाम श्रीमती शकुन्तला मन्नेवार रख ली थी. मेरे पति का निधन वर्ष 2009 में हो गया. मेरे पति के निधन हो जाने के बाद मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम शकुन्तला भोजवानी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शकुन्तला भोजवानी पति स्व. माधवराव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती शकुन्तला मन्नेवार
पति- स्व. माधवराव
निवासी-हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, कमला कालेज रोड,
क्वा. नं.- एम. आई. जी. 06 राजनांदगांव
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती शकुन्तला भोजवानी
पति- स्व. माधवराव
निवासी-निवासी-हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, कमला कालेज रोड,
क्वा. नं.- एम. आई. जी. 06 राजनांदगांव
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओम प्रकाश ठाकुर आत्मज श्री देवल सिंह ठाकुर, उम्र 31 वर्ष, जाति हल्बा, निवासी क्वा. नं.-14, ब्लाक नं.-2, सड़क नं.-06, सेक्टर-05, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम ओम प्रकाश पिता श्री देवल सिंह ठाकुर दर्ज है जबकि मेरे मतदाता, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक व अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर दर्ज है जो कि सत्य है. यह कि मेरे पेन कार्ड एवं बैंक के रिकार्ड में मेरे पिता का नाम देवल सिंह ठाकुर Deval Singh Thakur दर्ज है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम ओम प्रकाश ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ओम प्रकाश ठाकुर आ. देवल सिंह ठाकुर Dewal Singh Thakur के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ओम प्रकाश
आत्मज-देवल सिंह ठाकुर (Deval Singh Thakur)
निवासी-क्वा. नं.-14, ब्लाक नं.-2, सड़क नं.-06,
सेक्टर-05, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

ओम प्रकाश ठाकुर
आत्मज-देवल सिंह ठाकुर (Dewal Singh Thakur)
निवासी-क्वा. नं.-14, ब्लाक नं.-2, सड़क नं.-06,
सेक्टर-05, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती यशोदा ठाकुर पति श्री ओम प्रकाश ठाकुर, उम्र 28 वर्ष, निवासी-् क्वा. नं.-14, ब्लाक नं.-2, सड़क नं.-06, सेक्टर-05, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी यशोदा आल्हा आत्मजा श्री छबीलाल आल्हा था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 17-04-2008 को श्री ओम प्रकाश ठाकुर, आत्मज श्री देवल सिंह ठाकुर के साथ हुआ. विवाह के पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती यशोदा ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती यशोदा ठाकुर पति श्री ओम प्रकाश ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुमारी यशोदा आल्हा
पिता-श्री छबीलाल आल्हा
निवासी-क्वा. नं.-14, ब्लाक नं.-2, सड़क नं.-06,
सेक्टर-05, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती यशोदा ठाकुर
पति श्री ओम प्रकाश ठाकुर
निवासी-क्वा. नं.-14, ब्लाक नं.-2, सड़क नं.-06,
सेक्टर-05, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नुकेश सिंह राजपूत पिता स्व. गोपाल सिंह राजपूत, उम्र 53 वर्ष, निवासी-पोस्ट आफिस घेरा, सुभाष वार्ड, जगदलपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र आलेख सिंह राजपूत के पैन कार्ड में मेरा नाम निलेश सिंह राजपूत (Nilesh Singh Rajput) लिखा गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नुकेश सिंह राजपूत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे नुकेश सिंह राजपूत पिता स्व. गोपाल सिंह राजपूत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

निलेश सिंह राजपूत (Nilesh Singh Rajput)
पिता-स्व. गोपाल सिंह राजपूत
निवासी-पोस्ट आफिस घेरा, सुभाष वार्ड, जगदलपुर (छ. ग.)

नया नाम

नुकेश सिंह राजपूत (Nukesh Singh Rajput)
पिता-स्व. गोपाल सिंह राजपूत
निवासी-पोस्ट आफिस घेरा, सुभाष वार्ड, जगदलपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शागिल मलिक पिता बसीरूद्दीन सिद्धिकी, उम्र 30 वर्ष, निवासी-302, ब्लाक एफ, अविनाश प्राइड, जरवाय हीरापुर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम मोहम्मद शागिल सिद्धिकी पिता बसीरूद्दीन सिद्धिकी था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शागिल मलिक (Shagil Mullick) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शागिल मलिक पिता बसीरूद्दीन सिद्धिकी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मोहम्मद शागिल सिद्धिकी (Mohammed Shagil Siddiqui)
पिता-बसीरूद्दीन सिद्धिकी
निवासी-302, ब्लाक एफ, अविनाश प्राइड,
जरवाय हीरापुर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

शागिल मलिक (Shagil Mullick)
पिता-बसीरूद्दीन सिद्धिकी
निवासी-302, ब्लाक एफ, अविनाश प्राइड,
जरवाय हीरापुर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओम प्रकाश मिश्रा, आत्मज श्री कार्तिकराम मिश्रा, उम्र 62 वर्ष, निवासी-919, वार्ड नं.-68, सरस विहार कालोनी, बचपन हास्पिटल के पीछे, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम श्री कार्तिकराम मिश्रा दर्ज है जो कि सत्य है किंतु मेरे पेन कार्ड में मेरे पिता का नाम केदार राम मिश्रा अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ पिता के नाम को परिवर्तित कर नया नाम ओम प्रकाश मिश्रा आ. श्री कार्तिकराम मिश्रा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ओम प्रकाश मिश्रा आ. श्री कार्तिकराम मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ओम प्रकाश मिश्रा
पिता-श्री केदार राम मिश्रा
निवासी-919, वार्ड नं.-68, सरस विहार कालोनी,
बचपन हास्पिटल के पीछे, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

ओम प्रकाश मिश्रा
पिता-श्री कार्तिकराम मिश्रा
निवासी-919, वार्ड नं.-68, सरस विहार कालोनी,
बचपन हास्पिटल के पीछे, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भूपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी आत्मज स्व. शिवनाथ प्रसाद चतुर्वेदी, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-11 ए, सड़क-2, नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भूपेन्द्र कुमार दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, किंतु मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई. डी. तथा बैंक पासबुक में मेरा नाम भूपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी दर्ज है जो कि सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम भूपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के सक्षम शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे भूपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी आत्मज स्व. शिवनाथ प्रसाद चतुर्वेदी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

भूपेन्द्र कुमार
आत्मज-स्व. शिवनाथ प्रसाद चतुर्वेदी
निवासी-क्वा. नं.-11 ए, सड़क-2,
नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

भूपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी
आत्मज-स्व. शिवनाथ प्रसाद चतुर्वेदी
निवासी-क्वा. नं.-11 ए, सड़क-2,
नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर जिला-बस्तर, (छ. ग.)

जगदलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रं./उ. पं. ज. /परिसमापन/2017/71.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-707 दिनांक 29-08-2016 के द्वारा प्राथमिक आदर्श सहकारी समिति मर्या. तालूर विकासखंड बस्तर जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/593 दिनांक 27-02-2013 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल बृंझ,
उप पंजीयक

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2017/159.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/1909 दिनांक 29-09-2007 के तहत् प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. टिकरापारा बिलासपुर पं. क्र. 2186 दिनांक 18-01-1984 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. टिकरापारा बिलासपुर पं. क्र. 2186 दिनांक 18-01-1984 विकास खंड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 17-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2017/198.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/2586 दिनांक 15-12-2014 के तहत् प्रगति महिला बहुद्‌देशीय सहकारी समिति मर्या. इंदिरानगर, बिलासपुर पं. क्र. 231 दिनांक 14-12-2006 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् प्रगति महिला बहुद्‌देशीय सहकारी समिति मर्या. इंदिरानगर, बिलासपुर पं. क्र. 231 दिनांक 14-12-2006 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 25-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2017/199.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/2586 दिनांक 15-12-2014 के तहत् निषाद मछुआ सहाकरी समिति मर्या. टिकरापारा, बिलासपुर पं. क्र. 3558 दिनांक 02-09-1989 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् निषाद मछुआ सहाकरी समिति मर्या. टिकरापारा, बिलासपुर पं. क्र. 3558 दिनांक 02-09-1989 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 25-01-2017 का मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.